पीठासीन पदाधिकारी का नाम :– राधे श्याम शुक्ल

न्यायालय – जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

प्रोबेट वाद संख्या–70 / 2022

विमला देवी ––––– **आवेदिका**

बनाम्

राधाकृष्ण शर्मा एवं अन्य ––––– **विपक्षीगण**

———————————————————————————————

07.06.2024

आवेदिका की ओर से हाजिरी दी गयी। पुकार पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदिका की ओर से दिनांक 22–04–2024 को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 के अंतर्गत दाखिल संशोधन आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया कि आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद वसीयतनामा के आधार पर प्रोबेट जारी किये जाने हेतु दाखिल किया गया है। प्रोबेट आवेदन में टंकक की भूल के कारण कुछ अंश गैर जानकारी में टंकित हो गया है एवं कुछ अंश टंकित होना छूट गया है। प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है, जिससे प्रोबेट आवेदन की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। आवेदिका की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन को स्वीकृत कर आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन को प्रोबेट आवेदन में दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदिका विमला देवी द्वारा प्रस्तुत प्रोबेट वाद विश्वनाथ शर्मा द्वारा आवेदिका के पक्ष में दिनांक 20–07–1996 को निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर प्रोबेट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु

लगातार .....

पीठासीन पदाधिकारी का नाम :– राधे श्याम शुक्ल

न्यायालय – जिला न्यायाधीश, कैमूर (भभुआ)

प्रोबेट वाद संख्या–70/2022

विमला देवी ———— **आवेदिका**

बनाम्

राधाकृष्ण शर्मा एवं अन्य ———— **विपक्षीगण**

.... लगातार

07.06.2024

दाखिल किया गया है। आवेदिका की ओर से एक संशोधन आवेदन दिनांक 22–04–2024 को दाखिल कर संशोधन आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन को प्रोबेट आवेदन में दर्ज करने की अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना की गयी। आवेदिका की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन में वर्णित प्रस्तावित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है एवं उक्त संशोधन से वाद की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। आवेदिका की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन शपथ पत्र द्वारा सम्पुष्ट है। प्रस्तुत मामले की वर्तमान सभी परिस्थितियों एवं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन दिनांक 22–04–2024 को न्यायहित में स्वीकृत करते हुए प्रस्तावित संशोधन को प्रोबेट आवेदन में दर्ज करने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदिका को यह निर्देश दिया जाता है कि विहित समय के भीतर प्रोबेट आवेदन में प्रस्तावित संशोधन को दर्ज करें।

अभिलेख दिनांक 20–06–2024 वास्ते ग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु।

(लेखापित)

ह0/–

जिला न्यायाधीश